



# Subharti Medical College

Recognized by Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. Letter No. U.12012/69/96-ME(P)  
 Website: [medical.subharti.org](http://medical.subharti.org), e-mail: [medical@subharti.org](mailto:medical@subharti.org), Ph.: 0121-3055000 (Extn: 2118), Telefax: 0121-2439127, 2439067  
*A constituent college of*  
**SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY**  
 (Established under U.P. Govt. Act no. 29 of 2008 and approved under section 2(f) of UGC Act 1956)



पत्रांक:—एस.एम.सी./जी./एम—60/4150

दिनांक:—06—08—2023

सेवा में,

महानिदेशक,  
 चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:— नीट यू०जी०—2023 के माध्यम से सुभारती मेडिकल कालेज, भेरठ में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या एम०ई०—3/2023/1709 दिनांक 05 अगस्त 2023 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा प्रेषित पत्र पूरी तरह से असत्य तथ्यों पर आधारित है, अतः स्वीकार नहीं है। इस पत्र में उठाए गए बिंदुओं का उत्तर निम्नवत् दिया जा रहा है:—

1. यह सत्य है कि हमारे द्वारा आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 01—07—2023 की प्रति अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। कृपया ध्यान दें कि यह पत्र आपके ही द्वारा हमें प्रेषित किया गया था न कि हमने इसे बनाया है। अतः जो पत्र आपके द्वारा हमें प्रेषित किया गया हो उसकी प्रति को वेबसाइट पर प्रदर्शित करना विधि संगत है कि इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2. आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 01—07—2023 के निर्देशों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी ने 100 सामान्य सीटें एवं 100 बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक समुदाय की सीटें सत्यापित करायी गयी थीं, जो संलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।
3. यह सत्य है कि हमारे द्वारा अपने पत्र दिनांक 04—07—2023 की प्रति अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। कृपया ध्यान दें कि पत्र जो हमने आपको प्रेषित किया था उसकी प्रति को वेबसाइट पर प्रदर्शित करना विधि संगत है, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
4. आपने सन्दर्भित पत्र में अपने एक पत्र संख्या एम०ई०—3/2023/1566 दिनांक 19 जुलाई 2023 का उल्लेख किया है। कृपया ध्यान दें कि आपके कार्यालय द्वारा यह पत्र हमें दिनांक 2 अगस्त 2023 को मिला। अतः इसके अभाव में यदि हमारे द्वारा आपके पत्र दिनांक 1 जुलाई 2023 एवं अपने पत्र दिनांक 4 जुलाई 2023 को प्रदर्शित किया गया है तो इसमें कहीं भी कुछ भी अनुचित नहीं है। हमने आपके पत्र दिनांक 19 जुलाई 2023 को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है।
5. इस संदर्भ में यह कहना सर्वथा उचित है कि आपके द्वारा जो पत्र दिनांक 19 जुलाई 2023, काउंसिलिंग आरम्भ होने के पश्चात, दिनांक 2 अगस्त 2023 को हमें भेजा गया है, वह पूरी तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्यालय द्वारा जानबूझकर हमारे पत्र दिनांक



# Subharti Medical College

Recognized by Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. Letter No. U.12012/69/96-ME(P)  
Website: [medical.subharti.org](http://medical.subharti.org), e-mail: [medical@subharti.org](mailto:medical@subharti.org), Ph.: 0121-3055000 (Extn: 2118), Telefax: 0121-2439127, 2439067

A constituent college of

## SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY

(Established under U.P. Govt. Act no. 29 of 2008 and approved under section 2(f) of UGC Act 1956)



4 जुलाई 2023 का उत्तर हमें 2 अगस्त 2023 को भेजा गया ताकि हम उसके विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में न जा सकें। आपके पत्र को दिनांक 2 अगस्त 2023 को भेजे जाने के स्क्रीन शॉट की प्रति संलग्नक 2 है।

6. आपके पत्र द्वारा लगाया गया आरोप कि हमारे द्वारा छात्रों से शासनादेश में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है पूरी तरह से आधारहीन एवं असत्य है। इस सन्दर्भ में अवगत होना चाहें की हमारे द्वारा कभी भी यह नहीं कहा गया है कि हम किसी भी शासनादेश का उल्लंघन करेंगे, चाहें हम उससे सहमत हों या न हों। हमारी वेबसाइट पर जो प्रस्तावित शुल्क विवरण लगा था वो प्रस्तावित था न कि वर्तमान में लिए जाने वाला।
7. कृपया यह भी ध्यान दें कि आपके द्वारा प्रेषित 19 जुलाई 2023 के पत्र, जो कि जानबूझकर आपके कार्यालय द्वारा हमें 2 अगस्त 2023 को भेजा गया, आने के पश्चात हमने अपनी वेबसाइट पर समुचित संशोधन करते हुए पुनः सूचना डाली है। इस सूचना में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमारे द्वारा वही शुल्क लिया जाएगा जो कि आपके द्वारा निर्धारित है। हमारे द्वारा प्रदर्शित सूचनाओं की प्रति स्क्रीन शॉट सहित संलग्नक 3 है।
8. यह उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा सुभारती मेडिकल कॉलेज के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का शुल्क पूरी तरह मनमाने तरीके से निर्धारित किया गया है एवं अविधिक है। यह एक प्रयास है कि प्रदेश के सर्वोत्तम मेडिकल कॉलेज को किस प्रकार से नष्ट किया जा सके क्योंकि वह एक बुद्धिस्त अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित है। आपका शुल्क निर्धारण से संबंधित आदेश हमारे द्वारा विभिन्न न्यायिक स्तरों पर चैलेंज किया गया है। न्यायिक व्यवस्था के विलम्ब होने के कारण हमें अभी तक उसके ऊपर सुनवाई का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि अपीलीय फोरम पर सुनवाई हो गयी होती तो आपका अविधिक शुल्क निर्धारण आदेश निरस्त हो गया होता।
9. आपके संज्ञान में यह भी है कि हमारे विद्यालय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालय का दर्जा दिया गया है जिसे आज तक आपने स्वीकार नहीं किया है। आपके इस अविधिक निर्णय के विरुद्ध हमारे द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुग्रह याचिका दायर की गई है एवं उसमें सुनवाई चल रही है।
10. हमने अपनी वेबसाइट पर छात्रों की जानकारी के लिए यह स्पष्ट किया है यह विषय कि हम अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते स्वयं अपना शुल्क निर्धारित कर सकते हैं अथवा नहीं, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में निर्णय आता है तो हमें यह अधिकार होगा कि हम अपनी शुल्क में संशोधन कर सकें जिससे कि हमारा विद्यालय भलि प्रकार चल पाए।



# Subharti Medical College

Recognized by Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. Letter No. U.12012/69/96-ME(P)  
 Website: [medical.subharti.org](http://medical.subharti.org), e-mail: [medical@subharti.org](mailto:medical@subharti.org), Ph.: 0121-3055000 (Extn: 2118), Telefax: 0121-2439127, 2439067  
*A constituent college of*  
**SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY**  
 (Established under U.P. Govt. Act no. 29 of 2008 and approved under section 2(f) of UGC Act 1956)



11. कृपया यह संज्ञान लें कि प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार एवं माननीय न्यायालयों द्वारा ये अनिवार्य किया जा चुका है कि छात्रों को प्रवेश के समय सभी प्रकार की सूचना को दिया जाए। अतः हमारे द्वारा अपनी वेबसाइट पर यह भी लिखा गया है कि प्रवेश लेने वाले छात्र हमारे साथ यह अनुबंध करेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गयी है कि यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में निर्णय दिया जाता है तो विद्यालय शुल्क में परिवर्तन करेगा एवं उन्हें क्या शुल्क देना होगा; ताकि भविष्य में होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन से उन्हें कोई असुविधा ना हो।

12. कृपया पुनः अवगत होना चाहें कि हमारे द्वारा अपनी वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रामक अथवा किसी भी संदर्भ में कोई दुष्प्रचार नहीं किया जा रहा है। अतः हमारे ऊपर लगाया गया आरोप पूरी तरह आधारहीन है।

आपके द्वारा यह पूछा गया है कि क्यों न हमारे विद्यालय को भविष्य की होने वाली काउंसलिंग में सम्मिलित न किया जाए एवं क्यों न हमारी मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा शासन/केन्द्र सरकार से कर दी जाए। इस संबंध में यह कहना है कि दोनों विषयों में निर्णय लेने का अधिकार आपके पास है एवं आप स्वयंवेक से निर्णय लें। जिस प्रकार पूर्व में भी आपके द्वारा हमारे विरुद्ध अविधिक निर्णय लिए गए हैं और हमने उन्हें विभिन्न न्यायिक स्तरों पर चैलेंज किया है, यदि आप पुनः कोई अविधिक निर्णय लेंगे तो हमारे द्वारा उसका भी उचित स्तर पर विरोध किया जाएगा।

सादर, धन्यवाद।

भवदीय,

संलग्नकः—यथोपरि।

(डॉ प्रदीप भारती गुप्ता)  
 प्राचार्य एवं डीन

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- श्री विवेक सिंह, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

(डॉ प्रदीप भारती गुप्ता)